निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 कार्तिक 1939 (श0)

(सं0 पटना 1009) पटना, सोमवार, 30 अक्तूबर 2017

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
30 अक्तूबर 2017

एस० ओ० 257, दिनांक 30 अक्तूबर 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथा :–

1. (1) यह नियमावली बिहार माल और सेवा कर नियमावली (नौवाँ संशोधन), 2017 कही जा सकेगी।

(2) ये नियम दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में, –

(i) नियम 24 के उपनियम (4) में, ''31 अक्टूबर, 2017 को या उससे पहले'' अंकों और शब्दों के स्थान पर, ''31 दिसंबर, 2017 को या उससे पहले'' अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) नियम 45 के उपनियम (3) में, ''उक्त तिमाही के उत्तरवर्ती'' शब्दों के पश्चात्, ''या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विस्तारित की जाए :

परन्तु केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय–सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) नियम 96 के उपनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, यथाः–

''परंतु यह कि जहां किसी कर अवधि के लिए प्ररुप जीएसटीआर–1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तारीख का अधिनियम की धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विस्तार किया गया है, वहां प्रदायकर्ता प्ररुप जीएसटीआर–1 की सारणी 6क में यथा विनिर्दिष्ट निर्यातों से संबंधित जानकारी प्ररुप जीएसटीआर–3ख में विवरणी प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् प्रस्तुत करेगा और उसे सीमाशुल्क द्वारा पदाभिहित प्रणाली को सामान्य

पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रुप से पारेषित किया जाएगाः परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन सारणी 6क में प्रस्तुत जानकारी उक्त कर अवधि के लिए प्ररुप जीएसटीआर–1 में स्वतः प्रारुपित की जाएगी।'';

(iv) नियम 96क के उपनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे यथाः–

''परंतु यह कि जहां किसी कर अवधि के लिए प्ररुप जीएसटीआर–1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तारीख का अधिनियम की धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विस्तार किया गया है, वहां प्रदायकर्ता प्ररुप जीएसटीआर–1 की सारणी 6क में यथा विनिर्दिष्ट निर्यातों से संबंधित जानकारी प्ररुप जीएसटीआर–3ख में विवरणी प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् प्रस्तुत करेगा और उसे सीमाशुल्क द्वारा पदाभिहित प्रणाली को सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रुप से पारेषित किया जाएगाः परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन सारणी 6क में प्रस्तुत जानकारी उक्त कर अवधि के लिए प्ररुप जीएसटीआर–1 स्वतः प्रारुपित की जाएगी।''

[(सं०सं०–बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017–3878)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

---

30 अक्तूबर 2017

एस०ओ० 258, एस०ओ० 257, दिनांक 30 अक्तूबर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०–बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017–3878)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

The 30th October 2017

S.O. 257, dated 30th October 2017— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

(1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force with effect from 28th October, 2017.

2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017—

(i) in rule 24, in sub-rule (4), for the words, figures and letters "on or before 31st October, 2017", the words, figures and letters "on or before 31st December, 2017" shall be substituted;

(ii) in rule 45, in sub-rule (3), after the words "succeeding the said quarter", the words "or within such further period as may be extended by the Commissioner by a notification in this behalf:

Provided that any extension of the time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner." shall be inserted;

(iii) in rule 96, in sub-rule (2), the following provisos shall be inserted, namely—

"Provided that where the date for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** for a tax period has been extended in exercise of the powers conferred under section 37 of the Act, the supplier shall furnish the information relating to exports as specified in Table 6A of **FORM GSTR-1** after the return in **FORM GSTR-3B** has been furnished and the same shall be transmitted electronically by the common portal to the system designated by the Customs:

Provided further that the information in Table 6A furnished under the first proviso shall be auto-drafted in **FORM GSTR-1** for the said tax period.";

(iv) in rule 96A, in sub-rule (2), the following provisos shall be inserted, namely—

"Provided that where the date for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** for a tax period has been extended in exercise of the powers conferred under section 37 of the Act, the supplier shall furnish the information relating to exports as specified in Table 6A of **FORM GSTR-1** after the return in **FORM GSTR-3B** has been furnished and the same shall be transmitted electronically by the common portal to the system designated by the Customs:

Provided further that the information in Table 6A furnished under the first proviso shall be auto-drafted in **FORM GSTR-1** for the said tax period."

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017-3878)]
By the order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 1009-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in